प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या : एन.आर.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / FW / 70–4 / 2016–17 / 5315-2, दिनांक 5.09.2016
विषय : परिवार नियोजन कार्यक्रम गतिविधियों की समीक्षा एवं सक्रिय क्रियान्वयन विषयक।

महोदय / महोदया,

कृपया प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 के पूर्व प्रेषित पत्र सं0 एन. आर.एच.एम. / एस.पी.एम.यू. / FW / 70–4 / 2014–15 / 4702–18, दिनांक 19.01.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम गतिविधियों की समीक्षा एवं सक्रिय क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है (छायाप्रति संलग्न)।

आप अवगत है कि जुलाई 2012 में आयोजित लंदन सम्मेलन में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित किए जाने हेतु एफ.पी. 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत के लिए 40 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसका 26 प्रतिशत उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त किया जाना है।

फैमली प्लानिंग कार्यक्रम हेतु एफ.पी. 2020 तक दिए गए लक्ष्य के दृष्टिगत, इस कार्यक्रम को आपके द्वारा सफल नेतृत्व प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि मण्डल स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक के समय निम्न गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने का कष्ट करें –

- **नसबंदी शिविरों का आयोजन** – जनपद स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों यथा – जिला महिला चिकित्सालय एवं जिला पुरूष चिकित्सालय / संयुक्त चिकित्सालय तथा ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां – महिला एवं पुरूष नसबंदी से सम्बन्धी सेवाप्रदाता की उपलब्धता है, वहां नियत दिवस पर नियमित रूप से महिला एवं पुरूष नसबंदी की सेवाएं प्रदान की जाए तथा वह सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां – सेवाप्रदाताओं की अनुपलब्धता है, वहां नियत दिवस पर शिविरों का आयोजन कर नसबंदी की सेवाएं प्रदान की जानी सुनिश्चित की जाएं।

  जिला चिकित्सालय (पुरूष) में प्रतिदिन एन.एस.वी. के केसेज किये जाये तथा प्रत्येक माह की 21 तारीख को पुरूष नसबन्दी दिवस के दिन आशा,आंगनबाडी एवं ए.एन.एम. एवं अन्य प्रेरकों द्वारा अधिक से अधिक क्लाइट को प्रेरित कर पुरूष नसबन्दी सेवाये प्रदान की जाए।

- **एक्रेडिटेशन ऑफ प्राईवेट हास्पिटल–** स्वास्थ्य सुविधाओं को सुगम एवं गुणवत्ता पूर्ण बनाने हेतु पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने हेतु प्राइवेट अस्पतालों / नर्सिंग होम, सेवाप्रदाता सर्जन तथा COT (क्लीनिकल आउटरीच टीम) को हौसला साझीदारी वेबपोर्टल (www.hausalasajheedari.in) के द्वारा जनपद स्तर पर एक्रेडिटेड किया जाए जिससे परिवार नियोजन सेवाओं तक जनमानस की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

- **लक्ष्य दम्पत्ति की ग्रामवार अपडेट सूचना** – आर.सी.एच. रजिस्टर में ए0एन0एम0 द्वारा अपने क्षेत्र के लक्ष्य दम्पत्तियों का रिकार्ड नियमित रूप से संकलित किया जाता है। इसके लिए जनपदों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ए0एन0एम0 द्वारा अपने क्षेत्र में सर्वे कर आर.सी.एच. रजिस्टर अद्यतन रखा जाए ताकि आशा,आंगनबाडी एवं ए.एन.एम. एवं अन्य प्रेरकों द्वारा लक्ष्य दम्पत्तियों से सम्पर्क कर उन्हे परिवार नियोजन की विभिन्न विधाओं को अपनाने हेतु प्रेरित किया जा सके।

- **गर्भनिरोधक साधनों का आशा के माध्यम से घर–घर विपणन** – इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा विलेज हेल्थ इंडेक्स रजिस्टर (वी0एच0आई0आर0) को अद्यतन कर अपने क्षेत्र में गर्भनिरोधक साधनों की अपूरक मांग का आंकलन कर गर्भनिरोधक सामग्री की अपूरक मांग को पूरा किए जाने हेतु आशाओं द्वारा गर्भनिरोधक –सामग्रियों (कण्डोम, ओरल गर्भनिरोधक पिल, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली, प्रेगनेंसी टेस्ट किट) का घर–घर विपणन किया जाना है।

क्रमशः

(गर्भनिरोधक विपरण की दर– कण्डोम एवं ओरल पिल्स हेतु रू0 1.00/प्रति पैकेट/साईकिल एवं रू0 2.00/आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली/पैकेट) यह भारत सरकार द्वारा मासिक समीक्षा की जाने वाली गतिविधि है, अतः जनपद स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा की जानी है।

- **प्रसव पश्चात आई0यू0सी0डी0 निवेश** – प्रसव पश्चात आई0यू0सी0डी0 जनपदों के जिला महिला चिकित्सालयों एवं प्रथम संदर्भन इकाईयों पर प्रसव पश्चात 48 घण्टे के अंदर आई0यू0सी0डी0 निवेशन हेतु चिकित्सक एवं स्टॉफ नर्सों को जपाईगो संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिन जनपदों के महिला चिकित्सालयों में पी.पी.आई.यू.सी.डी. का प्रशिक्षण दिया जा चुका है, वहां पी.पी.आई.यू.सी.डी. निवेश की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करें। प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा नियमित सेवाएं प्रदान कर, सेवा प्रदातावार रिपोर्ट भी प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। पी0पी0 आई0यू0सी0डी0 सेवा हेतु सेवा प्रदाता एवं प्रेरक को प्रति इंसर्शन प्रोत्साहन राशि के रूप में रू0 150.00 प्रदान किए जाते है।
- **क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी** – परिवार नियोजन कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु जनपद स्तर पर क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति का प्रत्येक तिमाही में जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे 01 बैठक किया जाना अनिवार्य है, तथा बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाए। इस समिति द्वारा फैमली प्लानिंग इडेमिनिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु एक उपसमिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जिसके द्वारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों (मृत्यु, विफलता एवं जटिलता केस) का निस्तारण कर राज्य स्तरीय फैमली प्लानिंग इंडेमिनिटी उपसमिति को ससमय प्रेषित किया जाए। **समस्त सरकारी एवं हौसला साझीदारी के अंतर्गत प्राधिकृत निजी सेवा प्रदाता जिला क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी के अंतर्गत इम्पैनल्ड किए जाए।**

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य विभागों एवं ग्राम प्रधानों से भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहयोग लिया जाना आवश्यक है। **एफ.पी. 2020 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जनपदों में तैनात समस्त प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की मासिक समीक्षा की जानी आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से कार्यक्रम की महत्ता के दृष्टिगत, प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करते हुए परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति प्रदान करने में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।**

संलग्न यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या एन.आर.एच.एम./एस.पी.एम.यू./FW/70–4/2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।च
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक